2016 में जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की 2653 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2016 के छह महीनों में ऐसी केवल 40 घटनाएं ही हुईं। यह जानकारी गृहमंत्रालय ने एक रिपोर्ट में दी गई है।

सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगी पांच लाख की क्षतिपूर्ति

बदलेंगे नियम ▶ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए संशोधन विधेयक पेश

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो साल कारावास और 15,000 रुपये का लगेगा जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब तक की नाकाम कवायदों के बीच केंद्र ने सोमवार को लोकसभा में 'मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) बिल, 2019' पेश किया। इस विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों के हितों की रक्षा करने के उपायों के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सिर्फ चार साल से अधिक उम्र के बच्चों और व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट पहनने की आवश्यकता होगी।

सरकार ने जब यह विधेयक सदन में पेश करने का प्रस्ताव किया तो विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। इस पर सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहकर विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज किया कि केंद्र ने किसी राज्य के अधिकार नहीं छीने हैं। उन्होंने 18 राज्यों के साथ परामर्श के बाद इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने सदन से विधेयक को पारित करने का आग्रह किया ताकि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें बचाई जा सकें।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में भी यह विधेयक लेकर आई थी जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सका था। यही वजह है कि सरकार यह विधेयक फिर लेकर आई है। नए विधेयक के तहत सड़क दुर्घटना में मौत की स्थिति में वाहन स्वामी या बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये तथा घायल होने पर ढाई लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देनी होगी। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि शराब पीकर नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो साल के कारावास की सजा मिलेगी।

नई दिल्ली में सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 'मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) बिल, 2019' से जुड़ी विपक्ष की आशंकाओं को खारिज किया (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

विधेयक में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। खास बात यह है कि इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर दिव्यांगों को भी लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के इरादे से विधेयक में परमिट से संबंधित प्रावधानों को उदार बनाया गया है। साथ ही दुर्घटना में घायलों को बचाने के लिए सामने आने वाले राहगीरों के हितों के संरक्षण से संबंधित भी प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाता है और इस दौरान घायल की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का मामला नहीं चलेगा। रोड सेफ्टी की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को स्पीड कैमरा, सीसीटीवी, स्पीड गन और बॉडी बियरेबल कैमरा जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

विपक्षी सदस्यों की आशंका दूर करने की कोशिश करते हुए गडकरी ने कहा कि मेरे विभाग की यह विफलता है कि बीते पांच साल में यह विधेयक पारित नहीं हुआ और दुर्घटनाओं में मात्र तीन से चार प्रतिशत की कमी आई है, जबकि समान अवधि में तमिलनाडु में दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसके कुछ प्रावधान राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण हैं और इससे उनकी शक्तियां छिन जाएंगी। तृणमूल की एक अन्य सदस्य मोहुआ मित्रा ने भी विधेयक के प्रावधानों पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद महीने भर के भीतर लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है जो उचित नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह विधेयक का पूरी तरह विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके कुछ प्रावधानों का ही विरोध कर रहे हैं।

रोके जा सकते हैं हादसे

सड़क हादसों का सहज पूर्वानुमान संभव है, इसलिए किसी अन्य समस्या की तुलना में इस पर रोक लगाना ज्यादा आसान है। कई देशों ने इसी मंत्र पर अमल करते हुए सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार वजहों को खत्म किया। आज उनकी सड़कें सुरक्षित हैं। हादसों में हताहतों के लिहाज से हम शीर्ष पर हैं। लिहाजा इससे निपटने के लिए हमें उतनी ही शिद्दत से जुड़ना होगा। इन वजहों को प्रभावकारी तरीके से खत्म करना होगा।

तेज रफ्तार

हादसों के इजाफे में इस कारक की बड़ी हिस्सेदारी है। सभी देशों में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। अपेक्षाकृत युवा लोग तेज रफ्तार वाहन चलाने के साथ नियम-कानूनों को भी ताक पर रख देते हैं। लिहाजा कई बार दूसरे वाहनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर यातायात की औसत रफ्तार को एक किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो गंभीर रूप से होने वाले हादसे 4-5 फीसद कम हो जाते हैं। हर क्षेत्र, सड़क आदि के लिए विशेष रफ्तार सीमा तय की जानी चाहिए और उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाना चाहिए।

शराब पीकर वाहन चलाना

रक्त में शून्य स्तर से ऊपर अल्कोहल की मात्रा होने से किसी 30 साल से अधिक आयु वाले की तुलना में किशोर चालक द्वारा हादसे की आशंका पांच गुना अधिक हो जाती है। लिहाजा कम उम्र और गैर अनुभवी चालकों के लिए अल्कोहल सीमा के नए मानदंड लागू करके हादसों में 4-24 फीसद तक कमी लाई जा सकती है।

सीट बेल्ट

सड़क सुरक्षा को लेकर खोजे गए अब तक सभी उपकरणों में सीट बेल्ट ने सर्वाधिक जानें बचाई हैं। अकेले सीट बेल्ट के इस्तेमाल से हादसों में होने वाली सभी तरीके की चोटों को 40-50 फीसद कम किया जा सकता है जबकि गंभीर चोटों को 40-60 फीसद तक रोका जा सकता है।

बच्चों के लिए खास उपकरण

कार में शिशु और बच्चों की खास सीट एवं बूस्टर सीट हादसों के वक्त उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावकारी साबित होती हैं। ऐसे उपकरण हादसे में काल-कवलित होने वाले शिशुओं की संख्या में 71 फीसद कमी ला सकते हैं और बच्चों के मामले में 54 फीसद कमी लाने में सहायक हैं।

हेलमेट

दोपहिया वाहन से हादसों के दौरान सिर में सभी तरीके की चोटों से बचने का यह सबसे प्रभावी उपाय है। हेलमेट दुर्घटना के समय सिर की चोटों के जोखिम को 70% कम करता है।

आपातकालीन सेवाएं

स्वास्थ्य, अग्निशमन और पुलिस जैसी सेवाओं की कमी के चलते सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल लोग कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं।

सड़क डिजायन और आधारभूत संरचना

इसके तहत विभिन्न प्रकार के यातायात को अलग रखने की प्रणाली होनी चाहिए। पैदलयात्रियों और साइकिल सवारों की अलग लेन होनी चाहिए। फुटपाथ और सड़क पार करने की संरचनाएं होनी चाहिए। रफ्तार कम करने के लिए आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था हो। काफी किफायती ये तकनीकें हादसों को कम करने में अहम साबित हो सकती हैं।

अब सैन्य अदालत करेगी रवींद्र मामले की सुनवाई

जागरण संवाददाता, नारनौल : देश की खुफिया जानकारी विदेशी एजेंट को भेजने के आरोपित सेना के जवान रवींद्र कुमार यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत के बाद सोमवार को सीजेएम प्रवेश सिंघल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपित पक्ष के वकील की दलील पर केस को सेना की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अब सेना की अदालत सुनवाई करेगी। औपचारिकताओं के बाद आरोपित को उसकी यूनिट को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

सोमवार को अदालत में पेशी के दौरान रवींद्र नजर झुकाए खड़ा था। परिजन भी अदालत कक्ष के बाहर खड़े थे। आरोपित के वकील ने अदालत में दलील दी कि रवींद्र यादव पुत्र रतन सिंह के केस की सुनवाई शहर कोर्ट की बजाए सेना की अदालत करे। सजा का फैसला भी वही करे। वकील ने कहा कि यह भारतीय सेना के अधिकारी ही तय कर सकते हैं कि रवींद्र ने फेसबुक व वाट्सएप पर चैट की और जो जानकारी दी, वह कितनी अहम थी। एक जवान के पास इस बारे में कितनी जानकारी होती है। वकील ने कहा कि लोकल पुलिस ऐसी जांच करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद अदालत ने आरोपित को और केस की फाइल को यूनिट कमांडिंग अफसर के हवाले करने के आदेश दिए। अब इस मामले की जांच को आर्मी के अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। नारनौल पुलिस जल्द ही कोर्ट के आदेश पर ट्रांजेक्शन वारंट हासिल करके आरोपित और फाइल को पांच कुमाऊं रेजिमेंट अरुणाचल प्रदेश इसकी यूनिट के अधिकारियों के सुपुर्द करेगी।

महिला एजेंट ने मुझे जाल में फंसाया : मुझे पता नहीं था कि इस तरह की जानकारी शेयर करनी चाहिए या नहीं। पांच हजार तो मुझे बर्थ डे गिफ्ट पर कपड़े खरीदने के लिए दिए थे। वह बातों-बातों में वीडियो कॉलिंग करवा लेती थी। वह अपने को सेना में कैप्टन बताती थी। ये बातें हनीट्रैप में फंसे रवींद्र ने कोर्ट में पेशी पर जाते हुए पत्रकार से हुई बातचीत में कही। उसने बताया कि वह महिला के झांसे में फंस गया।

कोर्ट ने दिया साक्षी-अजितेश को सुरक्षा देने का निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

प्रेम विवाद से चर्चा में आए बरेली के बिथरी से भाजपा विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा व उसके पति अजितेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। साथ ही इनके वैवाहिक जीवन में किसी के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याची के परिवार के लोगों को कोई भी व्यक्ति हानि न पहुंचाने पाये। याचिकाकर्ताओं के विवाह के मामले में कहा कि यह याचिका का नहीं, साक्ष्य का विषय है, जिसे किसी वैधानिक कार्यवाही में तय किया जा सकता है। कोर्ट ने याचीगण को दो माह के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन न होने पर कोर्ट के संरक्षण का आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।

कोर्ट ने राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने साक्षी मिश्रा व अजितेश की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा

प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट पर बैठे अजितेश व साक्षी। (वीडियो ग्रैब)

कि दोनों बालिग हैं, वह अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। लता सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दो बालिग लोगों के अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह की स्थिति में पुलिस प्रेमी युगल की सुरक्षा करे। कोर्ट ने कई अन्य फैसलों का हवाला दिया। साथ ही याची अधिवक्ता व अजितेश के परिवार को धमकी देने के मामले में पुलिस को सुरक्षा करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि विधायक राजेश मिश्र की बेटी साक्षी ने अनुसूचित जाति के लड़के अजितेश से शादी की है। अपने पिता राजेश मिश्र और उनके दोस्त राजीव राणा से जान को खतरा बताया है। इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

अजितेश से हुई मारपीट : याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद साक्षी व अजितेश कोर्ट से बाहर निकले तो बरामदे में उन्हें इस प्रकरण को मीडिया में फैलाने का विरोध झेलना पड़ा। लोगों में इस बात का गुस्सा था कि प्रेम प्रसंग को लेकर मां-बाप की सोशल मीडिया व अन्य मंचों पर ज्यादा ही फजीहत कराई जा रही है। इसे लेकर उनसे मारपीट की गई, लेकिन साथ आए पुलिस वाले किसी तरह बचाकर बगल के न्याय कक्ष में घुस गए। सूचना पर कोर्ट अफसर वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस बल बुलाकर दोनों को किसी तरह रजिस्ट्रार जनरल के चैंबर तक पहुंचाया। वहां पुलिस, महिला पुलिस व सीआरपीएफ के कड़े सुरक्षा में दो-तीन घंटे रखने के बाद परिसर से बाहर निकालकर एयरपोर्ट ले जाया गया।

'यह सिर्फ प्रेम विवाह है या सियासी साजिश'

जागरण संवाददाता, बरेली : अनुसूचित जाति के युवक अजितेश से प्रेम-विवाह रचाने पर साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल पहले ही कह चुके थे कि पूरे प्रकरण के पीछे राजनीतिक साजिश है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया। पूरे दिन चर्चा रही कि उन्होंने प्रमुख सचिव से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। ऐसा होने पर बरेली प्रशासन को रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी। हालांकि स्थानीय अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने पूछा है कि क्या यह सिर्फ प्रेम विवाह है या फिर कोई सियासी साजिश। इस मामले की रिपोर्ट भेजने से पहले अफसर विधायक राजेश मिश्र का पक्ष भी जानेंगे। हालांकि वह पहले ही कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है।

प्रेम विवाह करने वाली दीक्षा के परिजन बोले, अब अपनी सुरक्षा वह खुद करे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की तैयारी में पुलिस
- शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अन्य साक्ष्य मांगेगी पुलिस

बरेली के भाजपा विधायक की बेटी साक्षी का मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रयागराज की दीक्षा के मामले में पुलिस फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। पूर्व उप महापौर की पोती दीक्षा अग्रवाल ने गैर बिरादरी के ऋतुराज सिंह से शादी कर घर वालों पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया है। उसके घर वालों ने ऋतुराज सिंह के खिलाफ अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने दीक्षा का बयान दर्ज कराने की तैयारी में है। इधर, सोमवार को पूर्व उप महापौर मुरारी लाल का कहना है कि दीक्षा ने अपनी मर्जी से शादी की है। अब अपनी सुरक्षा वह खुद करे।

सिविल लाइंस के रहने वाले पूर्व उप महापौर मुरारी लाल अग्रवाल के बेटे पवन अग्रवाल की बेटी दीक्षा पांच जुलाई की सुबह लापता हो गई थी। 13 जुलाई को घर वालों ने मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी ऋतुराज सिंह, उसके पिता बाल कृष्ण राजपूत और मां राजू देवी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद दीक्षा ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि शादी के कारण घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं। चूंकि उसने भोपाल में शादी की है। ऐसे में उसके शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दीक्षा से संपर्क कर पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी। फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाएगा।

शादी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, मंदिर में शादी के प्रमाण आदि मांगे जाएंगे। पुलिस का कहना है कि वह बालिग है, ऐसे में अपहरण का मामला नहीं बनता। वह जिसके साथ चाहे रह सकती है।

दीक्षा के नाम कई करोड़ की संपत्ति, हो सकती है अनहोनी : घर वालों ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि दीक्षा के नाम कई करोड़ की संपत्ति है, वह तीस लाख के जेवर और दो लाख नकद ले गई है। संपत्ति के लालच में उसके साथ अनहोनी हो सकती है। संपत्ति के मामले पर परिवार के लोगों ने कहा कि आगे देखा जाएगा कि दीक्षा के नाम की गई संपत्ति का क्या किया जाए।

ऋतुराज-दीक्षा की मुलाकात : दीक्षा इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। भोपाल के रहने वाले ऋतुराज सिंह से उसकी मुलाकात महाराष्ट्र के कल्याण स्थित एक आश्रम में हुई थी। वहां से वह पांच जुलाई को लापता हो गई। बाद में पता चला दोनों ने भोपाल में शादी कर ली।

चप्पल पहनकर घर के सामने से निकलने पर मां-बेटी को पीटा

नईदुनिया, राजगढ़ : चप्पल पहनकर घर के सामने से निकलने पर अनुसूचित जाति की मां-बेटी के साथ सवर्ण वर्ग के लोगों ने मारपीट की। दूसरी ओर अनुसूचित जाति के लोगों ने भी एक सवर्ण महिला को पीट दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है।

थाना प्रभारी जेबी राय के अनुसार, घटना ग्राम कोलूखेड़ी के कांगनीपुरा की है। अनुसूचित जाति वर्ग की धापूबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि है कि वह बेटी टमाबाई के साथ जा रही थी, तभी घर के सामने से चप्पल पहनकर निकलने पर अयोध्याबाई पत्नी कुमेर सिंह, ममताबाई पुत्री कुमेर सिंह, नारायण सिंह पुत्र देवीलाल और मांगीलाल पुत्र कुमेर सिंह सौंधिया ने अपशब्द कहते हुए मारपीट की। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद रविवार को धापूबाई की रिपोर्ट पर उक्त चारों आरोपितों के खिलाफ मारपीट के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं, दूसरे पक्ष की शिकायत पर धापूबाई व उसकी बेटी पर भी मारपीट का मामला दर्ज किया गया है।

आजम खां के विधायक बेटे समेत तीन के खिलाफ केस

जागरण संवाददाता, रामपुर

- डीसीबी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, मीडिया प्रभारी के घर भी दी दबिश

मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है। कोई धमकी नहीं दी गई है। पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज कर परेशान कर रही है।

-अब्दुल्ला आजम खां, विधायक, स्वार

पुलिस ने अब सांसद आजम खां के बेटे व स्वार विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू और जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम भी शामिल हैं। सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया प्रभारी के घर भी पुलिस ने दी दबिश दी।

कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा है कि वह सांसद आजम खां के गलत कामों का विरोध करते रहे हैं। आठ जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से विधायक अब्दुल्ला आजम, सांसद आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू और डीसीबी के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम उन्हें जहां-तहां रास्ते में निकलते हुए धमकी दे रहे हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। पुलिस ने जान से मारने की धमकी और आइटी एक्ट समेत तीन संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष सलीम कासिम को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सलीम कासिम के बेटे फैसल का कहना है कि उनके घर पुलिस 10 गाड़ियों के साथ पहुंची और उनके पिता को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस ने शानू के घर भी छापेमारी की, लेकिन वह हाथ नहीं लग सके। गंज कोतवाली प्रभारी नरेंद्र त्यागी ने बताया कि एक आरोपित सलीम कासिम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कल से रोज होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी की रोक संबंधित याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक रोज दोपहर दो बजे इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राजीव कुमार ने गिरफ्तारी से राहत दिलाने की मांग की है। सीबीआइ बहुचर्चित सारधा चिटफंड घोटाला मामले में राजीव की संलिप्तता की जांच कर रही है।

हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक की समय सीमा को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। आरोप है कि घोटाले की जांच के दौरान कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त ने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और राजीव कुमार को सीबीआइ के सामने पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआइ ने राजीव कुमार से शिलांग में पूछताछ की थी।

अब राजस्थान में न्यायाधीशों को नहीं बोला जाएगा 'माई लॉर्ड'

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, रजिस्ट्रार ने जारी किए आदेश

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी न्यायाधीशों को 'माई लॉर्ड' और 'लॉर्ड शिप' बोलकर संबोधित नहीं करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह पहली बार है, जब किसी हाई कोर्ट ने इन शब्दों के प्रयोग नहीं करने को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है।

राजस्थान हाई कोर्ट के जजों की पूर्ण पीठ ने सोमवार को ये फैसला दिया है। इसमें कहा गया है कि अब न्यायाधीशों के प्रति सर का संबोधन भी स्वीकार्य होगा। मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए निर्णय को लागू करने को लेकर रजिस्ट्रार सतीश कुमार शर्मा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शर्मा ने कहा है कि बार कौंसिल की ओर से आए प्रतिवेदन पर पूर्ण पीठ ने निर्णय लिया है, लेकिन निश्चित ही जजों को सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद माई लॉर्ड और यू आर लॉर्डशिप शब्दों से वकीलों की दूरी बनेगी।

राजस्थान हाई कोर्ट फाइल फोटो

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान छह जनवरी, 2014 को जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एसए बोबडे की खंडनीठ ने कहा था कि हमने कब कहा है कि यह अनिवार्य है। आप हमें सिर्फ गरिमापूर्ण तरीके से संबोधित कर सकते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव सागर तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप से संबोधित करना गुलामी का प्रतीक बताया था।

डीआइजी पर रेलवे अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप

नईदुनिया, जबलपुर : इंदौर से जबलपुर आ रही ओवरनाइट एक्सप्रेस के एसी कोच में रेलवे के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पत्नी ने पश्चिम मध्य रेलवे के आरपीएफ (रेल सुरक्षा बल) डीआइजी विजय खातरकर (52) पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर जबलपुर जीआरपी (शासकीय रेल पुलिस) ने छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

शिकायत के मुताबिक ट्रेन के सेकंड एसी कोच में जबलपुर रेल मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी की 34 वर्षीय पत्नी अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ भोपाल से जबलपुर की यात्रा कर रही थीं। उनके सामने वाली लोअर बर्थ पर आरपीएफ डीआइजी विजय खातरकर बैठे थे। सोमवार तड़के करीब चार बजे ट्रेन गाडरवारा से नरसिंहपुर के बीच पहुंची थी तभी डीआइजी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने इसका विरोध किया। शोर सुनकर अन्य यात्री भी जाग गए। कुछ यात्रियों ने पीड़िता का हौसला बढ़ाया और जीआरपी थाने में शिकायत करने का सुझाव दिया।

समझौते का दबाव, मगर नहीं मानी पीड़िता : आरोप है कि पीड़ित महिला के थाने पहुंचते ही आरपीएफ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। आरपीएफ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने माफी मांगकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता डीआइजी पर एफआइआर दर्ज कराने पर अड़ी रही। इसके बाद एफआइआर दर्ज कर ली गई। जीआरपी के मुताबिक, पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की वारदात उस वक्त हुई, जब ट्रेन गाडरवारा से नरसिंहपुर आ रही थी। इस वजह से जबलपुर में जीरो पर मामला कायम कर केस डायरी गाडरवारा जीआरपी को भेजी गई है। वहीं, मामला सामने आने के बाद पमरे (पश्चिम मध्य रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारी और आरपीएफ आइजी की बैठक हुई, लेकिन जैसे ही यह जानकारी लगी कि जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है तो सभी ने चुप्पी साध ली।

इस मामले में आरोपी विजय खातरकर का कहना है कि महिला यात्री को मुझे लेकर गलतफहमी हुई थी। सुबह तकरीबन चार बजे जब मैं उठा, उस वक्त ट्रेन में अचानक झटका लगा, जिससे मेरा हाथ उनसे टच हो गया। इसके लिए मैंने उनसे माफी भी मांगी। छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है।

मिली सफलता

एनएसआइ में बनाया ईको फ्रेंडली साबुन और डिटरजेंट, पेटेंट कराने के बाद स्वीकृति के लिए नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन भेजा

गन्ने की खोई के साबुन से दमकेंगे कपड़े

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

जल्द ही आपको नहाने और कपड़े धोने के लिए ऐसा केमिकल रहित साबुन व डिटरजेंट मिलने वाला है, जो त्वचा और कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि दोनों की दमक भी बढ़ाएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) ने गन्ने की खोई (बगास) व नारियल के तेल से प्राप्त फैटी अल्कोहल डेकेनॉल की रासायनिक क्रिया करके इसे तैयार किया है। इस फार्मूले को पेटेंट कराने के बाद नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनआरडीसी) को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसके बाद इंडस्ट्री के साथ मिलकर साबुन-डिटरजेंट बाजार में उतारे जाएंगे।

कार्बनिक रसायन के प्रोफेसर डॉ. विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव के निर्देशन में रिसर्च फेलो अनुष्का अग्रवाल ने दो साल अनुसंधान के बाद यह जैविक साबुन व डिटरजेंट बनाया है। इसका परीक्षण एनएसआइ की प्रयोगशाला और कुछ लोगों पर भी किया जा चुका है। अनुष्का ने बताया कि गन्ने की खोई में पाए जाने वाले जायलॉन व डेकेनॉल की रासायनिक क्रिया के पहले चरण में जॉयलोज बनता है, जबकि अगले चरण में ग्लाइकोसिडिक सर्फेक्टेंट में बदल जाता है। यह डिटरजेंट बनाने का मुख्य अवयव है। इस फार्मूले से डिटरजेंट के अलावा पपीता, संतरा, गुलाब, नीम व एलोवीरा फ्लेवर के नहाने के साबुन बनाए हैं।

एनएसआइ की कार्बनिक रसायन की प्रयोगशाला में ईको फ्रेंडली साबुन के फार्मूले पर काम करती रिसर्च फेलो अनुष्का अग्रवाल। जागरण

एनएसआइ में बनाया गया साबुन। जागरण

नदियां रहेंगी स्वच्छ

एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि आमतौर पर डिटरजेंट व साबुन पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं। जब यही डिटरजेंट मिला पानी नाली व नालों से नदियों में पहुंचता है तो उसका जल प्रदूषित कर देता है। ईको फ्रेंडली साबुन से नदियों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

हाथरस में दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा, सांप्रदायिक तनाव

जागरण संवाददाता, हाथरस

उत्तर प्रदेश के हाथरस में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। मारपीट का बदला लेने आए दूसरे समुदाय के दो युवकों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। बचाने आई पुलिस को लोगों ने मारपीट कर खदेड़ दिया। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ओर से मामला दर्ज कराया गया है। घटना से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव है।

हाथरस स्थित गांव बोझिया के वीरेंद्र व अन्य लोगों की रविवार को नगला सक्कन निवासी गुलफान से मारपीट हो गई थी। इसकी शिकायत गुलफान ने हाथरस गेट कोतवाली में की। इसके बाद गुलफान देर रात साथियों के साथ भोला के घर पहुंच गया। यहां दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हुई।

ग्रामीणों के एकत्रित होने पर गुलफान व उसके साथी भागने लगे, मगर भोला व उनके परिवार वालों ने भागते समय कमरुद्दीन व हमीद खां को पकड़ लिया। दोनों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध कर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस को हाथापाई करते हुए खदेड़ दिया। मामला दो संप्रदाय के लोगों के बीच होने के कारण पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पांच लोगों को गिरफ्तार कर ग्रामीणों के कब्जे से दोनों युवकों को छुड़ाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों ओर से मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र पक्ष के पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दूसरी ओर से भोला की बहन राजमाला निवासी गांव बोझिया ने गुलफान, कमरुद्दीन, हमीद खां, राज खां, रिजवान व अलीम के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन पर एससी-एसटी एक्ट भी लगा है। कमरुद्दीन व हमीद जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है।